सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1936 (श०)

संख्या 602 राँची ,सोमवार

17 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

13 नवम्बर, 2014

संख्या-5/आरोप-1-111/2014 का. 10932-- श्री ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 453/03, गृह जिला- सीतामढ़ी), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के पद पर कार्यावधि में रातू प्रखण्डान्तर्गत लाल गुटवा, नगड़ी, मखमंदरी एवं पाली के पंचायतों में इंदिरा आवास योजनाओं के राशि भुगतान में अनियमितता बरतने, लालगुटवा पंचायत में सिंचाई कूपों के निर्माण योजना में बिचैलियों के द्वारा लाभान्वितों से एक हजार रूपये से दो हजार रूपये तक नाजायज राशि वसूलने, जलधारा योजना में बिचैलियों को प्रोत्साहन देने तथा लाभान्वितों का शोषण करने, प्रखण्ड के सामान्य रोकड़ पंजी के संधारण में अनियमितता बरतने, सड़सठ हजार रूपये का चेक अपने नाम से काटने तथा राशि की निकासी करने और अग्रिम पंजी में राशि को दर्ज नहीं करने, सुनिश्चित रोजगार योजना में सरकारी निदेश का अनुपालन नहीं करने तथा अनियमितता बरतने, चुनाव कार्य में मतदाता सूची के महत्त्वपूर्ण कार्य में अनदेखी करने, आशुलिपिक से प्रधान लिपिक का काम लेने एवं उनसे प्रखण्ड के रोकड़ का सत्यापन कराने, अनाधिकृत अनुपस्थिति इत्यादि गंभीर आरोपों के लिए बिहार असैनिक सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49 के तहत् तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के आदेश संख्या-7954, दिनांक-27 अगस्त, 1997 द्वारा निलंबित किया गया था।

2. तत्पश्चात् तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के आदेश संख्या-6163, दिनांक-23 जुलाई, 1999 द्वारा श्री सिन्हा को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार में योगदान करने की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया है।

4. सेवा संहिता के नियम-97 के तहत् श्री सिन्हा के उक्त निलंबन अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

"श्री सिन्हा को निलम्बन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परंतु निलम्बन अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 602–50 ।